

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर, जिला भीलवाडा

लुत्ता का लीटिगेंट बनाम राजीव जैन vs नरेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा 188 नं 54 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.7.19	-वाद/प्रार्थना पत्र बाद जाचं प्राप्त हुआ। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिसल वास्ते सम्मन बर्डन्तजार दिनांक 16.8.19 को पेश हो।	
16.8.19	पत्राक पेश हुई। यस संव द्वारा हडताल/शोकसभा/स्यारिफा पेश की जावे सम्मन तलब गया है पीठासीन न्यायाधीश के द्वारा पत्राक, जाचं-संज्ञक कार्य सम्मन/अहकाम पत्राक, जाचं-संज्ञक कार्य दिनांक 11.9.19 को पेश हो सहायक कलक्टर बदनोर	सहायक कलक्टर (S.D.O) बदनोर आज्ञा से रिडर
11.9.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना के अहकामका रूपाक्षते अहकामका सब्या। के उ न्याय के सामने के नावजूद उपाक्षते रहे व्या व्या आवक न्याय पर में रूपाक्षते रहे है अहकामका सब्या। के उ के विरुद्ध सब सरफा आप्रवर्ति करेन के अहकाम दिने जाते है पेशाणु सभक के सरफ से कोई आपली रहे है प्रार्थना पत्र को पेश सब्या। के वषात आशुपत्र के रेकाइ अनुमार पत्राक गिने जाते के अहकाम दिने जाते है सदसीलदार कपतार को सद्योत जरि हो पत्रावली सुमार हो कर दफतर गिनावक हो	11.9.19 सहायक कलक्टर (S.D.O. बदनोर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बदनोर, जिला भीलवाडा

कमांक/रा0कोर्ट/2019/1054

दिनांक: 18.9.19

प्रेषिति-



तहसीलदार, बदनोर

विषय-मु.त.प्र.सं 54/2019 अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम। आदेश दिनांक 09.11.09 की पालनार्थ बाबत।


अनवान

1. लूम्बा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी झरडूका खेडा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।

बनाम

1. अभिषेक जैन c/o नरेन्द्रसिंह पिता कंचन चौधरी निवासी बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. मेवा पुत्र घीसा गुर्जर निवासी झरडूका खेडा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. हरदेव पुत्र घीसा गुर्जर निवासी झरडूका खेडा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बदनोर तहसील बदनोर।

विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा के आदेशानुसार लेख है कि खाता सं0 239 की आराजी नम्बर 1038 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 1039 रकबा 0.11 है0, आराजी नम्बर 1044 रकबा 0.19 है0, आराजी नम्बर 1115 रकबा 0.54 है0, आराजी नम्बर 1147 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 2122/1115 रकबा 0.02 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.15 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम झरडू का खेडा पटवार हल्का परा तहसील बदनोर की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भू0अभिलेख निरीक्षक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क राजकोष में जमा किये जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये प्रार्थी की उपरोक्त आराजिया की पत्थरगढी करे। अतएवं पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट मय चालान की प्रति, मौका पर्चा रिपोर्ट मय तामिलि सूचना रिपोर्ट सहित इस न्यायालय में 15 दिवस में आवश्यक रुप से भिजवावे।


सहायक कलक्टर
(S.D.O. बदनोर)